

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

(प्लॉट नं. - 6, ऐवरेस्ट कॉलोनी, नियर अपेक्स मॉल, लाल कोठी, जयपुर)


क्रमांक: पैरामेडि.कौं / मान्यता / 2019 / 822

दिनांक: 26-04-19

—:आदेश:—

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर की बैठक दिनांक 12.04.2019 में लिये गये निर्णयानुसार राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त वर्तमान में संचालित निजी पैरामेडिकल कॉलेजों/संस्थानों को डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति प्रदान की जा रही है।

राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी पैरामेडिकल कॉलेजों/संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 29.04.2019 से दिनांक 13.05.2019 तक राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। दिनांक 13.05.2019 पश्चात् आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।



(सोमदत्त (दीक्षित))
आर.ए.एस.
रजिस्ट्रार

क्रमांक: पैरामेडि.कौं / मान्यता / 2019 / 822

दिनांक: 26-04-19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
4. शासन सचिव, चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
8. राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त वर्तमान में संचालित निजी पैरामेडिकल कॉलेजों/संस्थानों को पालनार्थ।
9. निजी सहायक, रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
10. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही वेबसाईट पर अपलोड करें।
11. रक्षित पत्रावली।


रजिस्ट्रार